

जबलपुर इंजीनियरिंग महाविद्यालय जबलपुर मध्यप्रदेश
छात्र/छात्राओं द्वारा जमा की जाने वाली शुल्क

सत्र-2024-2025

प्रति वर्ष

बी.टेक के छात्र/छात्राओं द्वारा जमा की जाने वाली शिक्षण शुल्क

1. सामान्य श्रेणी के छात्रों को वार्षिक शिक्षण शुल्क रुपये 22300/-
2. ग्रीन कार्ड धारी छात्र/छात्राओं को शिक्षण शुल्क में छूट दिनांक 13/05/2003 के पूर्व ग्रीन कार्ड धारी होने पर देय होगी किन्तु गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले छात्राओं को दिनांक 13/05/2003 के बाद का ग्रीन कार्ड होने पर भी शिक्षण शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त होगा।
3. अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र छात्राओं के अभिभावक की वार्षिक आय सीमा में बिना बंधन शिक्षण शुल्क में पूरी छूट होगी। किन्तु उन्हें छात्रवृत्ति फार्म भरना अनिवार्य है।
 - (1) अभिभावक की वार्षिक आय रुपये 2,50,000/- तक होने पर छात्रवृत्ति फार्म भरना अनिवार्य है। छात्रवृत्ति फार्म भरने पर उन्हें छात्रवृत्ति एवं पूरी शिक्षण शुल्क की राशि स्वीकृत होगी।
 - (2) अभिभावक की वार्षिक आय रुपये 2,50,000/- से अधिक होने पर छात्रवृत्ति फार्म भरना अनिवार्य है, छात्रवृत्ति फार्म भरने पर उन्हें केवल शिक्षण शुल्क की राशि स्वीकृत होगी।
4. अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए वार्षिक आय रुपये 300,000/- तक शिक्षण शुल्क में पूरी छूट रहेगी एवं वार्षिक आय रुपये 300,000/- से अधिक होने पर पूरी शिक्षण शुल्क रुपये 22,300/- जमा करना होगी।

यदि किन्हीं कारणों से उपरोक्त श्रेणी के छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति का फार्म नहीं भरते हैं तो उन्हें पूरी शिक्षण शुल्क की राशि 22300/- स्वयं को जमा करना होगा।

एम0ई0 छात्र/छात्राओं के द्वारा जमा की जाने वाली शिक्षण शुल्क

1. सामान्य श्रेणी के छात्र/छात्राओं को वार्षिक शिक्षण शुल्क रुपये 10,000/-
2. केवल नान गेट से प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को वार्षिक आय के आधार पर शिक्षण शुल्क में नियमानुसार छूट दी जावेगी।
3. अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र छात्राओं के अभिभावक की वार्षिक आय सीमा में बिना बंधन शिक्षण शुल्क में पूरी छूट होगी। किन्तु उन्हें छात्रवृत्ति फार्म भरना अनिवार्य है।
 - (1) अभिभावक की वार्षिक आय रुपये 2,50,000/- तक होने पर छात्रवृत्ति फार्म भरना अनिवार्य है। छात्रवृत्ति फार्म भरने पर उन्हें छात्रवृत्ति एवं पूरी शिक्षण शुल्क की राशि स्वीकृत होगी।
 - (2) अभिभावक की वार्षिक आय रुपये 2,50,000/- से अधिक होने पर छात्रवृत्ति फार्म भरना अनिवार्य है छात्रवृत्ति फार्म भरने पर उन्हें केवल शिक्षण शुल्क की राशि स्वीकृत होगी।
4. अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए वार्षिक आय रुपये 300,000/- तक शिक्षण शुल्क में पूरी छूट रहेगी एवं वार्षिक आय रुपये 300,000/- से अधिक होने पर पूरी शिक्षण शुल्क रुपये 10,000/- जमा करना होगी।

यदि किन्हीं कारणों से उपरोक्त श्रेणी के छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति का फार्म नहीं भरते हैं तो उन्हें पूरी शिक्षण शुल्क की राशि 10,000/- स्वयं को जमा करना होगा।

एम0सी0ए0 के छात्रों द्वारा जमा की जाने वाली शिक्षण शुल्क

1. सामान्य श्रेणी के छात्र/छात्राओं को वार्षिक शिक्षण शुल्क रुपये 24,100/-
2. अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र छात्राओं के अभिभावक की वार्षिक आय सीमा में बिना बंधन शिक्षण शुल्क में पूरी छूट होगी। किन्तु उन्हें छात्रवृत्ति फार्म भरना अनिवार्य है।
 - (1) अभिभावक की वार्षिक आय रुपये 2,50,000/- तक होने पर छात्रवृत्ति फार्म भरना अनिवार्य है। छात्रवृत्ति फार्म भरने पर उन्हें छात्रवृत्ति एवं पूरी शिक्षण शुल्क की राशि स्वीकृत होगी।
 - (2) अभिभावक की वार्षिक आय रुपये 2,50,000/- से अधिक होने पर छात्रवृत्ति फार्म भरना अनिवार्य है, छात्रवृत्ति फार्म भरने पर उन्हें केवल शिक्षण शुल्क की राशि स्वीकृत होगी।
3. अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए वार्षिक आय रुपये 300,000/- तक शिक्षण शुल्क में पूरी छूट रहेगी एवं वार्षिक आय रुपये 300,000/- से अधिक होने पर पूरी शिक्षण शुल्क रुपये 24,100/- जमा करना होगी।

यदि किन्हीं कारणों से उपरोक्त श्रेणी के छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति का फार्म नहीं भरते हैं तो उन्हें पूरी शिक्षण शुल्क की राशि 24,100/- स्वयं को जमा करना होगा।

एम0एस0सी0 के छात्रों द्वारा जमा की जाने वाली शिक्षण शुल्क

1. सामान्य /अन्य पिछड़ा वर्ग /अनु.जाति एवं अनु.जनजाति श्रेणी के छात्र/छात्राओं को वार्षिक शिक्षण शुल्क रुपये 10,000/-

अशासकीय शुल्क

1. बी0टेक /एम.ई./एम.सी.ए./एम.एस.सी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अवधान राशि एवं अन्य शुल्क की राशि रुपये 2169/- देय होगी।
2. विश्वविद्यालयीन विकास/कल्याण शुल्क रुपये 550/- प्रतिवर्ष।
3. बी0टेक /एम.ई./एम.सी.ए./एम.एस.सी द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं चतुर्थ वर्ष के छात्र/छात्राओं हेतु अन्य शुल्क रुपये 419/- प्रतिवर्ष देय होगी।

छात्रावास शुल्क

अवधान राशि रुपये 900/- (प्रथम प्रवेश पर)

1. अनु.जाति/जनजाति श्रेणी के छात्रों को सिंगल एवं डबल सीट कमरे में रुपये 1382/- प्रतिवर्ष
2. सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के छात्रों को डबल सीट कमरे में रुपये 1862/- प्रतिवर्ष
3. सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के छात्रों को सिंगल सीट कमरे में रुपये 1982/-

एन0आर0आई0कोटे के तहत प्रवेशित छात्रों हेतु

1. शिक्षण शुल्क 3000 डॉलर प्रतिवर्ष (1 जुलाई को प्रतिवर्ष भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित की जाने वाली कनवर्सन दर के अनुसार) तथा समस्त अशासकीय एवं छात्रावास शुल्क उपरोक्तानुसार देय होगी।

पी0एच0डी0

1. रजिस्ट्रेशन शुल्क रुपये 10,000/- (प्रथम प्रवेश पर) (विश्वविद्यालय को देय)
2. शिक्षण एवं रिसर्च सेंटर शुल्क रुपये 20,000/- प्रतिवर्ष (संस्था को देय)
3. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अवधान राशि एवं अन्य शुल्क रुपये 2169/- देय होगी।
4. विश्वविद्यालयीन विकास/कल्याण शुल्क रुपये 550/- प्रतिवर्ष।

बी0टेक0 अंशकालीन उपाधि पाठ्यक्रम

1. शिक्षण शुल्क रुपये 18000/- प्रति सेमेस्टर देय होगी ।
2. अशासकीय शुल्क अवधान राशि सहित रुपये 4624/- प्रतिवर्ष देय होगी ।

एल्युमनि एसोसिएशन मेम्बरशिप

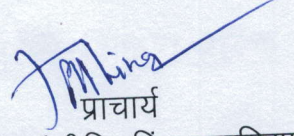
1. जबलपुर इंजीनियरिंग महाविद्यालय जबलपुर एल्युमनि एसोसिएशन मेम्बरशिप (जैका) रुपये 500/-समस्त पाठ्यक्रम हेतु । (केवल प्रथम प्रवेश पर)

विश्वविद्यालयीन शुल्क

1. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालयों से प्रवेशित छात्रों हेतु इमिग्रेशन शुल्क रुपये 500/- (केवल प्रथम प्रवेश पर) देय होगी ।

टीप:- 1. शिक्षण शुल्क में दी गई छूट की राशि छात्रवृत्ति स्वीकृत होने पर छात्रों को संस्था में वापिस जमा करना होगी, छात्रवृत्ति स्वीकृत न होने पर छात्रों को दी गई शिक्षण शुल्क में छूट की राशि स्वयं जमा करनी होगी ।

2. बी.टेक., एम.ई., एम.सी.ए. एवं एम.एस.सी. के प्रवेशित समस्त छात्र/छात्राओं को नोडयूज के समय प्रथम सेमेस्टर से अंतिम सेमेस्टर तक की शिक्षण शुल्क, अन्य शुल्क एवं छात्रावास शुल्क की रसीद अशासकीय लेखा शाखा में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।


प्राचार्य

जबलपुर इंजीनियरिंग महाविद्यालय
जबलपुर